दिनाक 23.12.2020
प्रेस विज्ञप्ति–23/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसैना

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 23.12.2020 को थाना नरसैना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ऊँचागॉव पेट्रोल पम्प के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी पिन्टू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नरसैना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–204/2020 धारा 302/201 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नरसैना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

पिन्टू निवासी डबकौर थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

जनपद बलरामपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 23.12.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एसएसबी कैम्प के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास

किया गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश शनि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती के थाना परसरामपुर, हरैया, कप्तानगंज में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना परसरामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–284/18 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शनि निवासी घुसाहे थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटरसाइकिल।

जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 23.12.2020 को थाना पीपरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्गापुर चौराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी जावेद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीपरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—272/2020 धारा 147/148/149/302/307/323/324/504/506/34 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बंध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

जावेद निवासी बहादुरपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की बुलेरो वाहन,चोरी की 03 मोटर साइकिले,**
- **02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22—12—2020 की रात्रि थाना कसया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बिशुनपुरा तिराहे से 03 अभियुक्तों 1—आमीर हम्जा 2—असरफ 3—शंखकेश्वर उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से लूट की बुलेरो वाहन, चोरी की 03 मोटर साइकिले, 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद कुशीनगर व गोरखपुर के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना कसया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमीर हम्जा निवासी सम्दारखुर्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

2—असरफ निवासी ढाढा बुर्जुग थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर।

3—शंखकेश्वर उर्फ गोलू निवासी मेंहदावल उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीर नगर ।

बरामदगी

1—लूट की 01 बुलेरो वाहन।

2—चोरी की 03 मोटर साइकिले।

3—02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बदायूं/थाना सिविल लाइन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 01 लाख 11 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22—12—2020 की सायं थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये नौसेरा एस0बी0आई0 बैंक के पास से 02 अभियुक्तो 1—कबीर उर्फ सागर 2—अविनाश को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 01 लाख 11 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा थाना सिविल लाइन व थाना उझानी क्षेत्र में चार पहिया वाहनों से चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0—361/2020 धारा 379 भादवि व थाना उझानी पर

मु0अ0सं0—393/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कबीर उर्फ सागर निवासी एच—1 मदनगीर थाना अम्बेडकरनगर दक्षिणी, दिल्ली।

2—अविनाश निवासी एच—1 मदनगीर थाना अम्बेडकरनगर दक्षिणी, दिल्ली।

बरामदगी

चोरी के 01 लाख 11 हजार 500 रूपये नगद।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **गाजा तस्कर गिरफ्तार**
- **53 किलोग्राम अवैध गांजा,**
- **चोरी की 01 स्कूटी आदि बरामद**

दिनांक 22.12.2020 की रात्रि थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अजनारी अण्डर ब्रिज से कोटरा जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 53 किलोग्राम अवैध गांजा, चोरी की 01 स्कूटी, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र निवासी बसरौली थाना मोठ जनपद झॉसी।

<u>बरामदगी</u>

1—53 किलोग्राम अवैध गांजा।

2— चोरी की 01 स्कूटी।

3— 02 मोबाइल फोन आदि

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेज—2 नोयडा गौतमबुद्धनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0स्पेशल पॉक्सो एक्ट—3 गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना फेज—2 नोएडा गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/506 भादवि व 4(1)पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त रोहित को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/376/201 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में अभियुक्त राज बहादुर उर्फ भगत को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————